

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

25 APR 2006  
S. Y. X. C.

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 19 अप्रैल, 2006

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6 राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत अपराध अनुश्रवण शाखा ( सी.आई.डी.) छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( नन्द कुमार )  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2006

पृ0क्रमांक एफ 7-16/2004/1/6

प्रतिलिपि :-

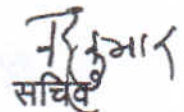
1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
6. सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर

//2//

7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव,मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
8. मुख्यसचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय रायपुर
10. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर
12. समस्त विभागाध्यक्ष
13. समस्त कलेक्टर्स,
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
15. संचालक, प्रशासन अकादमी, मंत्रालय परिसर, रायपुर
- ✓ 16. सचिव, राज्य सूचना आयोग, शेकर नगर रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

17. नियंत्रक क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग